88

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. कं. 2011/ रिव्यू (पुनर्विलोकन) रिव्यु - 566 - III / 2011

भुआल पुत्र हरिभूषण चमार
निवासी ग्राम बडोखर तह. देवसर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. पन्नालाल पुत्र रामकिशन
2. करीमन पुत्र रामकिशन
3. कलाप्रसाद पुत्र रामकिशन
4. मोतीलाल पुत्र भगवान
5. मकसूदन पुत्र भगवान
6. हीरालाला पुत्र उदयभान
7. अमीर पुत्र अम्बर
8. शोभानाथ पुत्र अम्बर
   सभी निवासी ग्राम बडोखर तह. देवसर, जिला सिंगरानी (म.प्र.)
9. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

पुनराविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.3.2011 पारित द्वारा श्री मुक्तेष पाण्डेय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. प्रकरण कमंक 1298 –तीन/09 व उनवान मुआल बनाम पन्नालाल आदि

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनर्राविलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, विवादित भूमि स्थित ग्राम बडोखर के सर्वे कमांक 417, 421, 422, 423, 424, 435, किता 6 रकवा 0.822 हे. लगानी 1.40 रूपया शासकीय अभिलेख में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 566–तीन/11 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–2016	आवेदिका अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1298–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2011 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (के0सी0 जैन) सदस्य	